प्रपत्र – डी

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–रायपुर (छ.ग.)

वेबसाईट www.deoraipur.com, Email-deoraipur01@gmail.com Phone No. : 0771-4270028

क्रमांक / मान्यता मॉनिटरिंग / 2022-23 / 2215 रायपुर, दिनांक 26/05/2023

प्रति,

प्रबंधक / अध्यक्ष,
जेवियर मेरी प्रोमेस रायपुर, जे.एल.टी. कॉलेज रायपुर (छ.ग.)
भारत माता सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, सेक्टर–28 खारी तथा रायपुर (माध्यम–अंग्रेजी CBSE)
विकासखण्ड–आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय — निजी एवं अशासकीय बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निजी एवं अशासकीय बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उप–नियम (5) के अधीन निरीक्षण के लिए कार्यालय प्रेषण–पत्र।

— 00 —

महोदय / महोदया,

कार्यालय आदेश क्रम की दिनांक–17.04.2023 के पत्रांक से और इस संबंध में विद्यालय के समस्त मान्यताधारी स्थानान्तरण/विलीकरण "भारत माता सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, सेक्टर–28 खारी तथा रायपुर" वि.ख.–आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.) (विद्यालय का नाम पता सहित) को शिक्षा सत्र– 2023–24 से 2028–29 तक 05 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा– नर्सरी से 01वीं से 12वीं (माध्यम–अंग्रेजी CBSE) की अनुमति मान्यता अगर हासिल एवं के लिए अनंतिम मान्यता नवीनीकरण प्रदान करने की संस्तुति भेजा है।

उपरोक्त संस्तुति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है –

1. मान्यता की संस्तुति विशेषाधिकार नहीं है और उसका किसी भी रूप में कक्षा आरंभ के पश्चात मान्यता/संबद्धता बढ़ाने के लिए कोई दावा विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय, निजी एवं अशासकीय बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संशोधित–2012) और निजी एवं अशासकीय बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 (संशोधित –47) के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा 1वीं से (या कक्षा विशेष पहली कक्षा से) जब कक्षा में बच्चों की संख्या में 25 प्रतिशत तक बाल–पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और पूर्व निजी एवं अशासकीय प्राथमिक और अशासकीय प्राथमिक शिक्षा पाकर पूरा हो जाने तक उपबंध करेगा; परन्तु यह और की कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में भी इन बच्चों का अनुपालन किया जायेगा।

4. नियम 3 में विहित बच्चों के लिए विद्यालय का अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार अधिसूचित किया जायेगा। ऐसी अधिसूचित संख्या अपने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. संबंधित/विद्यालय किसी डोनेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक से किसी अतिरिक्त प्रवेश के अध्यधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय, किसी बच्चे को पात्रता आयु का नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा से रोका नहीं निकाला जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिसूचित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के अध्याय 5 के अनुसार नि.शा.क./निजी अशासकीयकर्मचारी वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(vi) मान्यताधारी की पात्रता, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन केवल अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यालय प्रबंधक निजी एवं इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है उन वर्ग की अवधि के दौरान ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

(vii) प्रबंधक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अभिलेखों का रखरखाव करेंगे।

(viii) प्रबंधक, शर्तों को किसी निजी प्रबंधन शिक्षाधिकारी से निर्देशित नहीं करेंगे।